न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी—श्री सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	02/2025 (2025/211)	15/10/2025	सरकार बनाम सद्दाम हुसैन	30.03.2026	1 लगायत 4

1. राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक,सवाईमाधोपुर। —सायल(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री सद्दाम हुसैन पुत्र अब्दुल कलाम उर्फ कल्ला जाति गद्दी मुसलमान उम्र 30 साल निवासी दुल्हन मैरिज होम के पास शेड रोड गंगापुर सिटी थाना उदेई मोड जिला सवाई माधोपुर । ——गेर सायल(अप्रार्थी)

अभियोग—पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975

पुलिस अधीक्षक,सवाईमाधोपुर द्वारा यह अभियोग पत्र राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गैर सायल(अप्रार्थी) श्री सद्दाम हुसैन पुत्र अब्दुल कलाम उर्फ कल्ला जाति गद्दी मुसलमान उम्र 30 साल निवासी दुल्हन मैरिज होम के पास शेड रोड गंगापुर सिटी थाना उदेई मोड जिला सवाई माधोपुर के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार गैरसायल(अप्रार्थी) के विरूद्व पुलिस थाना उदेई मोड गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर मे निम्न अभियोग पंजीवद्व होना बताया है।

क.स	मु0नं0	दिनांक	धारा	चार्जशीट नम्बर	दिनांक	निर्णय का विवरण
1	120/2020	14.07.2020	13 RPGO	53	22.07.2020	100 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित
2	206/2020	13.11.2020	13 RPGO	96	26.11.2020	100 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित
3	29/2022	10.02.2022	13 RPGO	08	24.02.2022	100 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित
4	247/2022	04.09.2022	13 RPGO	95	20.09.2022	100 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित
5	177/2024	13.09.2024	13 RPGO	74	21.09.2024	100 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित
6	167/2025	19.09.2025	13 RPGO	86	23.09.2025	100 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 10:11:25 IST
Reason: SelfAttested

इस्तगासा का संक्षिप्त विवरण [illegible] है कि [illegible] (अप्रार्थी) श्री सद्दाम हुसैन पुत्र अब्दुल कलाम उर्फ कल्ला जाति गद्दी मुसलमान [illegible] 30 साल निवासी दुल्हन मैरिज होम के पास शेड रोड गंगापुर सिटी थाना उदेई मोड जिला सवाई माधोपुर में रहता है। गैरसायल आदतन जुआ/सटटा खेलने व खिलाने का [illegible] है तथा सार्वजनिक स्थान

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ,गंगापुर सिटी
मु0नं0 02/25 सरकार बनाम सद्दाम हुसैन

सटटे की खाई वाली करते हुये कई बार पकडा गया है उक्त अपराध एक ऐसा अपराध है जिसके कारण समाज के नवयुवक वर्ग को खोखला कर दिया है उक्त गैरसायल को बार–बार सटटे की खाई वाली करते हुये गिरफतार करने एवं इसके विरुद्ध चालान पेश न्यायालय में करने व माननीय न्यायालय से दोषी करार कर अर्थदण्ड से दण्डित करने के बाबजूद भी वह अपनी हरकतों एवं आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगा रहा है वल्कि वह बिना किसी कानून के भय के लगातार इसी अपराध आदतन रुप में करता चला आ रहा है जिससे एक और जहां व स्वंय को ईलाका श्रीमान का जुआ किंग घोषित कर आम जनता में भय का माहुल उत्पन्न कर रहा है और वहीं अपने लाभ के लिये युवा पीढी को इस अपराध में ढकेल रहा है जिसके कारण आम आम नागरिक उसके विरुद्ध ना तो कोई साक्ष्य देना चाहते है और ना ही उसके भय के कारण स्वतंत्र रुप से शिकायत उच्चाधिकारियो अथवा पुलिस को दे पा रहे है। अतः उक्त शक्स को आदतन अपराधी मानते हुये राजस्थान गुण्डा एक्ट के तहत गुण्डा घोषित कराया जाकर धारा 3(3) के तहत निष्कासन की विधिक कार्यवाही कराया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है।

गैरसायल की 6 माह की समयावधि के दौरान निरन्तर दोषसिद्ध की बारम्बरता है जो आदतन अपराधी पृवति को दर्शाती है गैरसायल के विरुध्द मुकदमा नम्बर 120/2020 एवं 206/2020 जो सभी अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के माननीय न्यायालय ने 6 माह की समायावधि में दो बार दोषसिध्द कर दण्ड से दण्डित किया है। उक्त आपराधिक दर्ज प्रकरणो को मध्येनजर रखते हुये तथा गोपनिय रुप से गैरसायल के विरुद्ध जुटाई जानकारी के अनुसार उक्त गैरसायल ने अपने व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के लिये नवयुवा पीढी को जुआ खेलने की आपराधिक लत लगा दी है तथा उक्त गैरसायल की गतिविधियां अवैध एवं समाज विरोधी हो गई है जिससे समाज मे भय, संत्रास व आम नागरिक का जीवन खतरे में हो गया है गैरसायल अभ्यासिक रुप से बिना कानून के भय के निर्वाध रुप से निरन्तर जुआ खेलने का अपराध कर रहा हैं।

अभियोग पत्र के साथ तालिका मे अंकित प्रथम सूचना रिपोर्ट, चार्जशीट प्रतियां प्रस्तुत की है।

अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 के नियम–4 मे उल्लेखानुसार राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। गैरसायल स्वयं उपस्थित होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:11:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी पक्ष से दौराने बहस [illegible] वर्तमान में पुलिस थाना, गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी में 6 मुक[illegible] 13 आरपीजीओं के अलावा अन्य धारा के 3 मुकदमें भी दर्ज है। जिसमें 6 मुकदमों मे गैरसायल को 6 बार 100–100 रू0 के जुर्माना से दण्डित किया हुआ है। गैरसायल कई वर्ष[illegible] अपराधों में लिप्त रहा है

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

एवं रूपयों से हार जीत का दाब लगाकर सट्टे की खाईवाली करता है। गैरसायल को अब तक जुआ के मुकदमों में 6 बार सजा हो चुकी है। गैरसायल का इतना आंतक है कि आम जन इसके खिलाफ गवाही देने व रिपोर्ट करने से डरता है। गैरसायल इलाके में और आमजन को आमशान्ति से रहने के लिए खतरा एवं नुकसान दायक है। अतः गैर सायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

गैरसायल ने दौराने बहस निवेदन किया कि उनवानी प्रकरण सन् 2025 से विचाराधीन है। गैरसायल तभी से अनवीक्षा भुगत रहा है। गैरसालय द्वारा वर्तमान में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाता है। गैरसायल मजदूर पेशा व्यक्ति है। गैरसायल मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। प्रार्थी कभी भी आपराधिक कार्यों में लिप्त नहीं रहा है। और ना ही कभी भी जुआं एवं सट्टा आदि लगाने का कार्य किया है। साथ ही गैर सायल ने गैर सायल के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए उक्त प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी व गैर सायल की बहस सुनने व मनन करने तथा अभियोग पत्र पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात व साक्ष्य का भलीभांति अवलोकन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहुंचा हुं कि गैरसायल के खिलाफ पुलिस थाना, गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी में 13 आरपीजीओं के 6 मुकदमें दर्ज है। राजस्थान सार्वजनिक द्युत अध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत 6 बार दोषी मानते हुए दण्डित किया गया हैं। जिसमें 6 मुकदमों में गैरसायल को 6 बार 100-100 रू0 के जुर्माना से दण्डित किया हुआ है। है।जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है के गैरसायल की गतिविधियों से लोक व्यवस्था में विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। उक्त आधार पर गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यावाही करना न्याय संगत है।

अतः पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क),(ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट स्थितियां विघमान है। अतः राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम , 1975 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गैरसालय को 15 दिन की अवधि के लिए सवाई माधोपुर जिले से थाना बदर करने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल आज की तारीख से 15 दिन पश्चात् यानि 16.04.2026 से 15 दिन के लिए जिला करौली के थाना कुडगांव में दिन में एकबार प्रतिदिन अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी कुडगांव गैरसायल की उपस्थिति सुनि[illegible] तथा साप्ताहिक रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रेषित करेगें। थानाधिकारी थाना उदेई ... गैरसायल को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को थाना कुडगांव जिला करौली में पहुंचाने की व्यवस्था करेगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:11:25 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ,गंगापुर सिटी
मु0नं0 02/25 सरकार बनाम सद्दाम हुसैन

थानाधिकारी , थाना कुडगांव को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिदिन उक्त गैरसायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाने की सुनिश्चितता करेगें एवं थानाधिकारी ,थाना उदेई मोड गैरसायल के कस्बा गंगापुर सिटी में वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेगें। संबंधित थानाधिकारी को तहरीर जारी की जावें तथा प्रति सूचनार्थ जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर एवं जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर को दी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **30.03.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:11:25 IST
Reason: SelfAttested